

पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 99 / 2026

1 बलजीत कौर पत्नी रणजीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादीया

बनाम्

1. मनजीत कौर पत्नी नरोतम सिंह
2. लवप्रीत सिंह पुत्र जगदीश
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।


जाति कम्बोज सिख निवासी 1 एस. आर. डबल्यू
नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व प्रतिवादी वकील जे0एन0शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादीया बलजीत कौर को प्राप्त आराजी:-चक नं0 12 सीडीआर के खाता सं0 63/152 में अंकित प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम की कुल 1.1510 है0 भूमि ।

ख. प्रतिवादीया सं0 1 मनजीत कौर व प्रतिवादी सं0 2 लवप्रीत सिंह को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी:- चक नं0 12 सीडीआर के खाता सं0 301/174 में वादीया बलजीत कौर के नाम की कुल 0.944 है0 व चक नं0 12 सीडीआर के खाता सं0 301/174 में से बलजीत कौर का नाम कलमजन तथा चक नं0 12 सीडीआर के खाता सं0 63/152 में से मनजीत कौर व लवप्रीत सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।


(सत्यनारायण कलक्टर एव
उपखण्ड सहायक अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

